(6)

|| न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ||

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/32 तारीख रज्जू 28.03.2014

01– विद्या देवी पत्नी स्व० श्री रामजी लाल जाट निवासी ग्राम मरेठिया का बास, अलवर

02– सरिता पुत्री स्व० श्री रामजीलाल जाट पत्नी श्री ज्वालासिंह निवासी ग्राम भदीरा तह० नदबई जिला भरतपुर

03– सुनीता पुत्री स्व० श्री रामजीलाल जाट पत्नी श्री जगदेव निवासी ग्राम भदीरा तह० नदबई जिला भरतपुर

04– सीमा पुत्री स्व० श्री रामजीलाल जाट पत्नी श्री कपिल जाट निवासी ग्राम बम्बोरा तह० किशनगढबास जिला अलवर –प्रार्थीगण

बनाम

2010/168

01– सुबेसिंह पुत्र स्व० श्री रामजीलाल जाट

02– हरप्यारी बेवा स्व० श्री रामजीलाल जाट निवासीयान ग्राम बरखेडा तह० मालाखेडा

03– सरला पुत्री स्व० श्री रामजीलाल जाट पत्नी श्री राजपाल सिंह निवासी ग्राम बम्बोरा तह० किशनगढबास जिला अलवर

04– मंजू पुत्रवधु स्व० श्री रामजीलाल जाट पत्नी स्व० श्री शेरसिंह जाट निवासी बरखेडा तह० मालाखेडा

05– श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मालाखेडा जिला अलवर

–असल अप्रार्थीगण

06– राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, मालाखेडा जिला अलवर –लैण्ड होल्डर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(7)

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/159 तारीख रज्जू 31.10.2014

01– सरिता पुत्री स्व० श्री रामजीलाल जाट पत्नी श्री ज्वालासिंह निवासी ग्राम भदीरा तह० नदबई जिला भरतपुर

–प्रार्थनी

बनाम

01– सुबेसिंह पुत्र स्व० श्री रामजीलाल जाट

02– हरप्यारी बेवा स्व० श्री रामजीलाल जाट

03– मंजू पुत्रवधु स्व० श्री रामजीलाल जाट पत्नी स्व० श्री शेरसिंह जाट निवासीयान बरखेडा तह० मालाखेडा

04– सरला पुत्री स्व० श्री रामजीलाल जाट पत्नी श्री राजपाल सिंह निवासी ग्राम बम्बोरा तह० किशनगढबास जिला अलवर

–असल अप्रार्थीगण

05– सुनीता पुत्री स्व० श्री रामजीलाल जाट पत्नी श्री जगदेव जाट निवासी ग्राम भदीरा तह० नदबई जिला भरतपुर

06– सीमा पुत्री स्व० श्री रामजीलाल पत्नी श्री कपिल जाट निवासी ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर

07– विद्या देवी पत्नी स्व० श्री रामजी लाल जाट निवासी ग्राम मरेठिया का बास, अलवर

–तरतीबी अप्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 17.07.2019

–: निर्णय :–

वादीगण द्वारा एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत पेश किया है। दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1–2 जाप्ता दीवानी पेश किया है। प्रार्थना पत्र संख्या 2/32 एवं

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

2/159 समेकित किये जा चुके है। दोनो ही प्रार्थना पत्रों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थीगण ने ये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किये है। जिसमें प्रार्थीगण ने अंकित किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 577/4210 रकबा 0.15 है०, 962 रकबा 0.01 है० 963 रकबा 0.66 है०, 963/4392 रकबा 0.63 है०, 964 रकबा 0.09 है०, 968 रकबा 0.08 है०, 969 रकबा 0.02 है०, 970 रकबा 0.03 है०, 972 रकबा 0.18 है०, 973 रकबा 0.01 है०, 974 रकबा 0.26 है०, 975 रकबा 0.04 है०, 977 रकबा 0.01 है०, 979 रकबा 0.52 है०, 980 रकबा 0.44 है०, 981 रकबा 0.04 है०, 987 रकबा 0.60 है० कुल किता 17 कुल रकबा 3.77 है०, वाके ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी दोनों ही प्रार्थना पत्र में विवादित है।

उक्त आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार रामजीलाल पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी बरखेडा था जिसका स्वर्गवास हो चुका है। विरासत इंतकाल भी खोला जा चुका है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सभी रामजीलाल के वारिसान है। रामजी लाल ने अपने जीवन काल में दो शादीयां की थी। प्रथम पत्नी विद्यादेवी है जिसके तीन पुत्रियां सरिता, सुनीता व सीमा है जिनकी शादी हो चुकी है एवं दूसरी पत्नी हरप्यारी है जिसके पुत्र सुबेसिंह, व पुत्री सरला व पुत्रवधु मंजू बेवा शेरसिंह है। उक्त आराजी में विद्यादेवी एवं उसकी पुत्रियों का 1/2 हिस्सा व हरप्यारी एवं उसके पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधु का 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

अप्रार्थीगण हरप्यारी ओर उसके बच्चों के दिलो–दिमाग में बदयान्ति आ गई है, जो विद्यादेवी व उसकी पुत्रियों को वारिस मानने से इंकार करते है व आराजी में हिस्सा मानने से इंकार करते है तथा कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत करते है। आराजी अबट है, उक्त आराजी पर अवैध जबरन निर्माण करना चाहते है एवं बेचान करना चाहते है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा आराजी का तकासमा कर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी दिलाने हेतु एवं अप्रार्थीगण को उक्त आराजी में जबरन निर्माण न करने एवं रहन, बय, हिबै से

Scanned by CamScanner

मुन्तकिल न करने एवं मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 31.10.2014 को अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से आराजी हाल खसरा नम्बर 577/4210 रकबा 0.15 है०, 962 रकबा 0.01 है० 963 रकबा 0.66 है०, 963/4392 रकबा 0.63 है०, 964 रकबा 0.09 है०, 968 रकबा 0.08 है०, 969 रकबा 0.02 है०, 970 रकबा 0.03 है०, 972 रकबा 0.18 है०, 973 रकबा 0.01 है०, 974 रकबा 0.26 है०, 975 रकबा 0.04 है०, 977 रकबा 0.01 है०, 979 रकबा 0.52 है०, 980 रकबा 0.44 है०, 981 रकबा 0.04 है०, 987 रकबा 0.60 है० कुल किता 17 कुल रकबा 3.77 है०, वाके ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर में प्रार्थनी के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने एवं किसी प्रकार का निमार्ण न करने हेतु आगामी तारीख तक पाबन्द किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 4 की पोस्ट आफिस की रसीद दिनांक 14.11.2014 पेश की। अप्रार्थीगण संख्या 1 दिनांक 09.12.2014 को न्यायालय में उपस्थित आया जिसके आदेशिका पर हस्ताक्षर कराये गये। दिनांक 13.12.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 4 क्रमशः सुबेसिंह, हरप्यारी, सरला एवं मंजू के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में दर्ज विवरण को दोहराते हुए न्यायालय को निवेदन कर वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 577/4210 रकबा 0.15 है०, 962 रकबा 0.01 है० 963 रकबा 0.66 है०,

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

963/4392 रकबा 0.63 है०, 964 रकबा 0.09 है०, 968 रकबा 0.08 है०, 969 रकबा 0.02 है०, 970 रकबा 0.03 है०, 972 रकबा 0.18 है०, 973 रकबा 0.01 है०, 974 रकबा 0.26 है०, 975 रकबा 0.04 है०, 977 रकबा 0.01 है०, 979 रकबा 0.52 है०, 980 रकबा 0.44 है०, 981 रकबा 0.04 है०, 987 रकबा 0.60 है० कुल किता 17 कुल रकबा 3.77 है०, वाके ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.10.2014 को ताफैसला वाद (absolute) किये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। दिनांक 31.10.2014 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा में आंशिक संशोधन कर अप्रार्थीगण को आराजी हाल खसरा नम्बर 577/4210 रकबा 0.15 है०, 962 रकबा 0.01 है० 963 रकबा 0.66 है०, 963/4392 रकबा 0.63 है०, 964 रकबा 0.09 है०, 968 रकबा 0.08 है०, 969 रकबा 0.02 है०, 970 रकबा 0.03 है०, 972 रकबा 0.18 है०, 973 रकबा 0.01 है०, 974 रकबा 0.26 है०, 975 रकबा 0.04 है०, 977 रकबा 0.01 है०, 979 रकबा 0.52 है०, 980 रकबा 0.44 है०, 981 रकबा 0.04 है०, 987 रकबा 0.60 है० कुल किता 17 कुल रकबा 3.77 है०, वाके ग्राम बरखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर में प्रार्थीगण के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने एवं किसी प्रकार का निमार्ण न करने हेतु पाबन्द किया जाता है। दिनांक 31.10.2014 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (absolute) कर कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की एक प्रति वाद संख्या 2/159 बउनवान सरिता बनाम सुबेसिंह वगै० में शामिल की जावे।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner